

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र, मेरठ
(223/1 शिविल लाइन मेरठ-250001)
पत्रांक 1715/14-1 दिनांक, मेरठ 25, नवम्बर, 2019

सेवा मे,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980,
उ०प्र० लखनऊ।

विषय:- गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद द्वारा अपर गंगा कैनल मील 106.775 से 107 तक क्षेत्रफल 0.14 हे० एवं बाधक 14 वृक्षों के पातन एवं जनपद हापुड़ के अन्तर्गत अपर गंगा कैनल मील 107 से 107.984 तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हेतु लिंक मार्ग के निर्माण हेतु 0.6716 हे० एवं बाधक 91 वृक्षों के पातन कुल 0.8156 हे० संरक्षित वन भूमि के हस्तान्तरण एवं कुल बाधक 105 वृक्षों के पातन की अनुमति (प्रस्ताव सं०-FP/UP/Road/39999/2019)।

सन्दर्भ:- 1-आपका पत्रांक 1023/11-सी-FP/UP/Road/39999/2019, दिनांक 21.11.2019।
2-प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद का पत्रांक 2637/14-1 दिनांक 25.11.2019।
3-प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़ का पत्रांक 1688/14-1 दिनांक 25.11.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा दिनांक 21.11.2019 द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी, गाजियाबाद एवं हापुड़ वन प्रभाग द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार किया गया है:-

हापुड़ वन प्रभाग

Observe No.	Observation of GOI	Reply
1	प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है, किन्तु वृक्षों का वैज्ञानिक नाम अंकित नहीं है तथा सूची का सारांश ऑनलाइन भाग-2 के अनुसार व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित भी संलग्न नहीं है।	प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची का सारांश ऑनलाइन भाग-2 के अनुसार व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित अंकित कर सूची प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दी गई है।
2	प्रस्ताव में एन०पी०वी० की गणना संलग्न की गई है किन्तु हरियाली घनत्व व ईको क्लास के अनुसार गणना नहीं की गई है जो कि त्रुटिपूर्ण है।	ईको क्लास एवं हरियाली घनत्व के अनुसार एन०पी०वी० की गणना प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दी गई है।
3	प्रस्तावित वन भूमि का 1:50000 माप की रंगीन टोपोग्राफिक सत्यापित संलग्न है किन्तु टोपोग्राफिक मूल में सूक्ष्म है। अतः प्रस्तावित वन भूमि की टोपोग्राफिक मूल में फुल साइज की प्रस्ताव में संलग्न करते हुये ऑन लाइन अपलोड करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 1:50000 माप की रंगीन टोपोग्राफिक सत्यापित फुल साइज की प्रस्ताव में संलग्न करते हुये ऑन लाइन अपलोड कर दी गई है।
4	गजट नोटिफिकेशन चिन्हित कर संलग्न नहीं किया गया है। अतः प्रस्ताव में गजट नोटिफिकेशन चिन्हित कर सत्यापित संलग्न करें।	गजट नोटिफिकेशन प्रतिहस्ताक्षरित कर प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया गया है।

गाजियाबाद वन प्रभाग

1	प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है, किन्तु वृक्षों का वैज्ञानिक नाम अंकित नहीं है तथा सूची का सारांश ऑनलाइन भाग-2 के अनुसार व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित भी संलग्न नहीं है।	प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची का सारांश ऑनलाइन भाग-2 के अनुसार व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित अंकित कर सूची प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दी गई है।
---	--	---

2	प्रस्ताव में एन0पी0वी0 की गणना संलग्न की गई है किन्तु हरियाली घनत्व व ईको क्लास के अनुसार गणना नहीं की गई है जो कि त्रुटिपूर्ण हैं।	ईको क्लास एवं हरियाली घनत्व के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दी गई है।
3	प्रस्तावित वन भूमि का 1:50000 माप की रंगीन टोपोग्राफी सत्यापित संलग्न है किन्तु टोपोग्राफी मूल में सूक्ष्म है। अतः प्रस्तावित वन भूमि की टोपोग्राफी मूल में फुल साइज की प्रस्ताव में संलग्न करते हुये ऑन लाइन अपलोड करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 1:50000 माप की रंगीन टोपोग्राफी सत्यापित फुल साइज की प्रस्ताव में संलग्न करते हुये ऑन लाइन अपलोड कर दी गई है।
4	गजट नोटिफिकेशन चिन्हित कर संलग्न नहीं किया गया है। अतः प्रस्ताव में गजट नोटिफिकेशन चिन्हित कर सत्यापित संलग्न करें।	गजट नोटिफिकेशन प्रतिहस्ताक्षरित कर प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया गया है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(एन0के0 जानू)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक-वानिकी मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

पत्रांक

14-1

दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी, गाजियाबाद एवं हापुड़ को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एन0के0 जानू)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र, मेरठ।